न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 129/2016

सरिता बनाम विनोद

(3) इसी प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2022 में वादी के न्यायालय में नहीं आने तथा साक्ष्य पेश करने में विलंब कारित करने के आधार पर साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर देकर साक्ष्य समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया है तथा

(4) प्रतिवादी द्वारा दिनांक 04.04.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में विवाद्यकों की विरचना चार वर्ष पूर्व हो जाने व पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर होने एवं न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को प्रश्नावली के जवाब जैसा कोई आदेश दिनांक 14.12.2023 को नहीं किये जाने एवं उस दिनांक का आदेश केवल निर्देशात्मक प्रकृति का होने के कारण कार्रवाई को दुरुस्त करते हुए पत्रावली को साक्ष्य वादी में नियत करने का निवेदन किया गया है व प्रतिवादी से विहित प्ररूप में प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

3. यहां यह महत्वपूर्ण है कि मूल प्रकरण में न्यायालय द्वारा विवाद्यक दिनांक 15.03.2021 को विरचित किये गये हैं तथा बाद में प्रतिवादी संख्या 17 एवं बाद में प्रतिवादी संख्या 18 से 21 को संयोजित किये जाने के पश्चात् दिनांक 08.08.2022 को पुनः विवाद्यक विरचित किये जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत किये जाने के पश्चात् उभयपक्ष की सहमति से सुविधा की दृष्टि से उभयपक्षों को विवादित विषयों के संबंध में सारवान प्रश्न तैयार कर पत्रावली देने का आदेशित किया गया था अर्थात् उपर्युक्त आदेश प्रकरण में विवादित विषयों की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए दिया गया था तथा इस संबंध में दोनों पक्षकार सहमत थे एवं जिस आदेश को पत्रावली के उचित निस्तारण हेतु किया गया था उसी में तकनीकी आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के आधार पर पत्रावली के विचारण में अत्यधिक विलंब कारित हो रहा है एवं पत्रावली न्यायालय के टारगेटेड श्रेणी में शामिल है। ऐसी स्थिति में विवाद्यकों की विरचना के पश्चात् उभयपक्ष के निवेदन पर न्यायालय के निर्देश की पालना में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली व उसकी अनुपालना में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तरों को अभिलेख पर लिया जाकर पत्रावली में साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना व प्रस्तुत परिप्रश्न व उनके उत्तरों तथा इस संबंध में दर्शाई गई प्रारूपित त्रुटियों पर न्यायालय के अंतिम विनिश्चय के समय विचार किया जाना उचित पाये जाने से इस स्तर पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.2024 अंतर्गत आदेश 11 नियम 21 सिविलि प्रक्रिया संहिता व वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2024 वास्ते प्रश्नावली के उत्तर शामिल पत्रावली नहीं किये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 20.12.2024 साक्ष्य वादी बंद किये जाने और प्रतिवादी संख्या 1/1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर (सीकर) राज.